कॉर्नवालिस का प्रशासकीय सुधार 1786-1793

Ashish kumar Thakur
B.A. II, History(G) - II
Dr. L.K.V.D. College, Tajpur
Samastipur.

1786 में कम्पनी ने एक उच्चवंश तथा कुलीन वृत्ति के व्यक्ति लार्ड कार्नवालिस को पिट्स इण्डिया ऐक्ट के तहत गवर्नर-जनरल नियुक्त कर भारत भेजा।

उसने विशेषकर एक संतोषजनक भूमि कर व्यवस्था स्थापित करना, एक ईमानदार तथा कार्यक्षम न्याय व्यवस्था बनाना तथा कम्पनी के व्यापार विभाग का पुनर्गठन करना था। उसने वॉरेन हेस्टिंग्स के स्थापित किए हुए ढाँचे पर ही अतिरिक्त शासन व्यवस्था का गठन किया जो 1858 तक चलता रहा।

न्यायिक सुधार :- कार्नवालिस का प्रथम कार्य जिले की समस्त शक्ति को कलक्टरों के हाथों में केन्द्रित करना था। और यह उन आदेशों के अनुकूल था।

1787 में जिले में कार्यवाह कलक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया तथा इसके अतिरिक्त उन्हें फौजदारी शक्तियाँ और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दे दिया गया था।

भारतीय न्यायाधीशों वाली जिला फौजदारी अदालतें समाप्त कर उनके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय तीन बंगाल के लिए तथा एक बंगाल के लिए नियुक्त किया।

कॉर्नवालिस संहिता :- इसने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 तक अंतिम रूप देकर कोनवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धान्त "शक्तियों का पृथक्कीकरण" पर आधारित था। उसने कर तथा न्याय प्रशासनों को पृथक कर दिया। उस समय तक जिले में कलक्टरों के पास भूमि कर विभाग तथा विस्तृत न्यायिक तथा दण्डनायक शक्तियाँ होती थी।

कोनवालिस संहिता द्वारा कलक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियाँ ले ली गई तथा उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियाँ ही रह गई। जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य के लिए एक नए अधिकारियों की श्रेणी जिला न्यायाधीशों की गठित की गई। इनको फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी दिए गए।

Ashish

मुंसिफ की अदालत को 50 रुपये तक के मामले सुनने का अधिकार था, जिसका अध्यक्ष एक भारतीय अधिकारी होता था। उसके ऊपर रजिस्टार की अदालत थी जिसका अध्यक्ष एक यूरोपीय अधिकारी होता था। जिला न्यायालयों के ऊपर चार प्रांतीय न्यायालय थे। ये अदालतें कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में स्थित थी।
इस प्रकार कार्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम, जो इससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू कर दिया।

फौजदारी कानून में सुधार :–
वॉरेन हेस्टिंग्स ने तो केवल सरकार के कानूनी मामले में हस्तक्षेप करने के अधिकार पर ही बल दिया था परन्तु कार्नवालिस ने यह भी कहा कि सरकार को फौजदारी कानून में सुधार करने का अधिकार है।
मुसलमानों का यह कथन था कि फौजदारी कानून दैव निर्दिष्ट है।
1790-93 के बीच कॉनवालिस ने फौजदारी कानून में कुछ परिवर्तन किए जिन्हें अंग्रेजी संसद ने एक अधिनियम द्वारा 1797 में प्रमाणित कर दिया।
1793 में यह निश्चित किया गया कि साक्षी के 'धर्म विशेष' का मामलों पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

पुलिस के सुधार :– न्यायिक सुधारों को लागू करने तथा अनुपूरण करने की के लिए पुलिस प्रशासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। पुलिस अध्यक्ष काफी भ्रष्ट थे। पुलिस के कर्मचारियों में तत्परता तथा ईमानदारी लाने के लिए, कार्नवालिस ने उनके वेतन बढ़ा दिए तथा चोरों तथा हत्यारों को पकड़ने पर पुरस्कृत किए गए।
ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों के पुलिस अधिकार समाप्त कर दिए गए। अंग्रेज दण्डनायकों को जिले की पुलिस का भार दिया गया। जिलों को 400 वर्ग मील के क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया तथा प्रत्येक क्षेत्र में एक दरोगा तथा उसकी सहायता के लिए पुलिस कर्मचारियों नियुक्त कर दिए गए।

कर संबंधी सुधार :– कार्नवालिस ने कर सुधार की इच्छा से 1787 में प्रांत को राजस्व क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, जिस पर एक-एक कलक्टर नियुक्त कर दिया गया। इसकी संख्या 36 से घटाकर 23 कर दिया गया।

Scanned with CamScanner